


छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर



क्रमांक एफ 9-10/2023/तक.शि/42
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25/07/2023

संचालक,
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,
छ0ग0।

विषय:- ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया 2023 का विस्तृत विवरण बाबत।
संदर्भ:- आपका जावक टीप क्रमांक 1513, दिनांक 29.05.2023

-----0-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव अनुसार ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु प्रस्तावित प्रवेश प्रक्रिया 2023 एवं दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों (अभ्यर्थी सुविधा केन्द्रों) की सूची निम्नानुसार निर्धारित करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी, बैचलर ऑफ फॉर्मैसी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा फॉर्मैसी, डिप्लोमा मॉडर्न आफिस मैनेजमेंट (MOM), डिप्लोमा कारस्ट्यूम डिजाइन एण्ड ड्रेस मेकिंग (CDDM), डिप्लोमा इंटीरियर डेकोरेशन (ID), डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एण्ड कैंटरिंग टेक्नोलॉजी (HMCT), डिप्लोमा आर्किटेक्चर, एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.फॉर्मा, एम.टेक., बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लेटरल एण्ट्री, बैचलर ऑफ फॉर्मैसी लेटरल एण्ट्री एवं डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एण्ट्री इत्यादि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम वेबसाइट- www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग की जायेगी एवं संबंधित तिथियाँ, उपलब्ध सीटों की जानकारी, सीटों के आबंटन की जानकारी, सूचनाएँ इत्यादि भी इसी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ऑनलाईन काउंसिलिंग संबंधित तिथियाँ राज्य/राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी।
2. इंजीनियरिंग एवं फॉर्मैसी संस्थाओं के स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रत्येक अकादमिक सत्र में प्रथम वर्ष में स्वीकृत सीटों की 10 प्रतिशत सांख्येत्तर सीटों के साथ प्रथम वर्ष में रिक्त रह गई सीटों पर लेटरल एण्ट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जा सकेगा।
3. ऑनलाईन काउंसिलिंग के दो मुख्य चरण होंगे, प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण के पश्चात संस्था स्तर की काउंसिलिंग का एक और चरण होगा। काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करना होगा। इस हेतु डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए रु. 200, स्नातक पाठ्यक्रम के लिए रु. 300 एवं स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम के लिए रु. 500 ऑनलाईन शुल्क जमा करना होगा। ऑनलाईन आवेदन के मुख्य तीन भाग हैं, पंजीयन (Registration), शुल्क भुगतान (Fee Payment), और विकल्प भरना (Choice Filling)।

4. कॉउंसिलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा इंटरनेट सुविधा का उपयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
5. जो अभ्यर्थी व्यापम की प्रवेश परीक्षाओं पीईटी, पीपीटी, पीपीएचटी एवं प्री-एम.सी.ए. के द्वारा कॉउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं उन्हें व्यापम के पोर्टल पर अपना आधार प्रमाणन कराना होगा, उसके उपरांत ही वे कॉउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग ले पायेंगे।
6. अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि आवेदन करते समय वह स्वयं का मोबाईल नंबर अंकित करे, क्योंकि इसी मोबाईल नंबर पर आवश्यक सूचनाएँ समय-समय पर SMS द्वारा भेजी जावेंगी।
7. ऑनलाईन पंजीकरण के उपरांत अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी (लागू हो तो), शैक्षणिक योग्यता की जानकारी, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड कर ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेगा। तदुपश्चात अभ्यर्थी प्राथमिकता क्रम में अपनी इच्छानुसार अधिक से अधिक संस्था एवं ब्रांच का विकल्प भर सकता है।
8. ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित दस्तावेज होना चाहिए।

1. जन्म प्रमाण पत्र अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10वीं की अंकसूची।
2. अर्हकारी परीक्षा जैसे- मान्यता प्राप्त 10वीं/12वीं/स्नातक/डिप्लोमा/आई.टी.आई. में जो लागू हो की अंकसूची। (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ)। आवेदन के दिन अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पूरक/अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी मान्य नहीं है।
3. सामान्य प्रवेश परीक्षा जैसे- पी.ई.टी./जे.ई.ई./पी.पी.एच.टी./प्री.एम.सी.ए./नीमसेट/पी.पी.टी/ सी.एम.ए.टी./जी.ए.टी.ई./जी.पी.ए.टी./एम.ए.टी./एक्स.ए.टी./ए.टी.एम.ए./नाटा में जो लागू हो की अंकसूची। (मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ)।
4. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र 04 प्रारूपों (प्रारूप क्रमांक - 5, 6, 7 या 8) में से किसी एक प्रासंगिक निर्धारित प्रारूप में। (च्वाइस सेंटर से बना निवास प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा)। अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए संबंधित राज्य के मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित प्रवर्ग/वर्ग के लिये अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है-

1. छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित प्रवर्ग के होने के संबंध में स्थायी जाति प्रमाण पत्र।
2. सैनिक वर्ग में आने वाले अभ्यर्थी के लिए सैनिक कल्याण बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रारूप 3(अ), 3(ब) या 3(स) में।
3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में आने वाले अभ्यर्थी के लिए संलग्न किए गए निर्धारित प्रारूप क्रमांक -4 में कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
4. निःशक्तता से बाधित वर्ग में आने वाले अभ्यर्थी के लिए जिला मेडिकल बोर्ड से विकलांगता प्रमाण पत्र एवं अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु संचालित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से उपयुक्तता प्रमाण पत्र।



9. संबंधित/समुचित एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता के लिए संबंधित/समुचित विभिन्न स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम एवं जी.ए.टी.ई. (GATE) के विषय की सूची परिशिष्ट - 1 में दी हुई है।
10. बैचलर आफ इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी के प्रथम वर्ष एवं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) के प्रमुख विषय क्षेत्रों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा में अनिवार्य तीन विषयों की सूची परिशिष्ट - 2 में दी हुई है।
11. डिप्लोमा वोकेशनल के आधार पर बैचलर आफ इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु डिप्लोमा वोकेशनल की विशेषज्ञता से संबंधित प्रासंगिक विषय क्षेत्रों की सूची परिशिष्ट - 3 में दी हुई है।
12. एक पाठ्यक्रम हेतु एक अभ्यर्थी से संबंधित मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि किसी भी कारणवश कोई अभ्यर्थी अपना आवेदन नहीं भर पा रहा है। तो वह निम्न अभ्यर्थी सुविधा केन्द्रों में अपने समस्त मूल दस्तावेज एवं फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाकर अपनी समस्या का निदान कर सकता है।

अभ्यर्थी सुविधा केन्द्रों का नाम

क्र.	अभ्यर्थी सुविधा केन्द्रों का नाम	जिला	दूरभाष क्रमांक
1	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर	रायपुर	83193-36275
2	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर	बिलासपुर	89669-41834
3	झाड़ा सिरहा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर	बस्तर	79993-11361
4	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर	सरगुजा	07774-220609
5	शासकीय पॉलीटेक्निक, नारायणपुर	नारायणपुर	97553-48508
6	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर	बिलासपुर	98263-08234
7	धर्मू माहरा शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर	बस्तर	07782-229230
8	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी	धमतरी	97700-02406
9	उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग	दुर्ग	07888-2323548
10	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया	कोरिया	79997-43372
11	शासकीय पॉलीटेक्निक, जशपुर	जशपुर	97133-99998
12	रामकृष्ण राठौर शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर-चांपा	जांजगीर	99073-82275
13	किरोड़ीमल शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़	रायगढ़	07762-222737
14	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम	कबीरधाम	07741-232636
15	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुन्द	महासमुन्द	70009-68900
16	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर	रायपुर	79035-28448
17	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक राजनांदगाँव	राजनांदगाँव	62636-34180
18	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़	राजनांदगाँव	89639-53373
19	शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद	गरियाबंद	81095-42787
20	शासकीय पॉलीटेक्निक, कांकेर	कांकेर	82794-41396
21	शासकीय पॉलीटेक्निक, बीजापुर	बीजापुर	81092-53112
22	शासकीय पॉलीटेक्निक, सुकमा	सुकमा	79990-63380
23	शासकीय पॉलीटेक्निक, रामानुजगंज	बलरामपुर	79748-11319
24	शासकीय पॉलीटेक्निक, मुंगेली	मुंगेली	94791-76258
25	शासकीय पॉलीटेक्निक, बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	70249-51715



26	इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, कोरबा	कोरबा	99814-43708
27	एन.एम.डी.सी., डीएव्ही, पॉलीटेक्निक, जावंगा, दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	91318-61324
28	शासकीय पॉलीटेक्निक, भाटापारा	बलौदाबाजार	98264-03452
29	शासकीय पॉलीटेक्निक, बेरला	बेमेतरा	99934-88950
30	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोण्डागांव	कोण्डागांव	94252-01021
31	शासकीय पॉलीटेक्निक, सूरजपुर	सूरजपुर	79879-53932
32	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा	कोरबा	8770085613
33	शासकीय पॉलीटेक्निक, बिलासपुर	बिलासपुर	07752-291842
34	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बिलासपुर	बिलासपुर	8770367190
35	शासकीय पॉलीटेक्निक, बालोद	बालोद	79990-12934
36	शासकीय सह-शिक्षा पॉलीटेक्निक, रायपुर	रायपुर	95752-43237

13. सीटों का आबंटन केन्द्रीय आनलाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी आनलाईन आवेदन करते समय विशेष सावधानी रखे। आवेदन में त्रुटि होने पर या गलत जानकारी पाये जाने पर आवेदन/आबंटन/प्रवेश निरस्त किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।
14. अन्य राज्य के आरक्षित श्रेणी (जिनके पास छ.ग. राज्य का निवासी प्रमाण पत्र है, परंतु छ.ग. राज्य के आरक्षित वर्ग का होने संबंधी जाति प्रमाण पत्र नहीं है) में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अथवा योग्यता में छूट की प्रावधान नहीं है। इन्हें अनारक्षित श्रेणी में मान्य करते हुये नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।
15. शैक्षणिक अर्हताएँ, संस्था में प्रवेश की तिथि से पूर्व पूर्ण होना आवश्यक है। प्रवेश की तिथि को अनुत्तीर्ण अथवा पूरक/कम्पार्टमेंट अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं है। यदि अभ्यर्थी निर्धारित अर्हता, प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व, प्राप्त कर लेता है तो वह प्रवेश हेतु पात्र माना जायेगा।
16. यदि अभ्यर्थी संबंधित बोर्ड द्वारा कृपांक से उत्तीर्ण है, तो वह प्रवेश हेतु उत्तीर्ण होने की पात्रता को पूरा करता है। परंतु अर्हकारी/मेरिट अंक की गणना करते समय कृपांक को नहीं जोड़ा जायेगा।
17. अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अभ्यर्थी का उत्तरदायित्व होगा।
18. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा अन्य राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में ऑफ कैम्पस/स्टडी सेन्टर तथा फ्रेन्चाईसी चलाने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है। इस तरह संचालित ऑफ कैम्पस/स्टडी सेन्टर तथा फ्रेन्चाईसी व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त शैक्षणिक अर्हताएं राज्य में इजीनियरिंग/टेक्नालॉजी, आर्किटेक्चर एवं फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मान्य नहीं है।
19. दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एम.सी.ए./एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय एवं ऑफ सेन्टर/स्टडी सेन्टर की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश हेतु मान्य किया जावेगा।
20. इजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, आर्किटेक्चर एवं फार्मेसी में डिप्लोमा/स्नातक/स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दूरस्थ शिक्षा/ओपन स्कूल के माध्यम से मान्यता प्राप्त 10वीं/12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

21. इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, आर्किटेक्चर एवं फार्मेसी में प्रवेश हेतु दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातक पाठ्यक्रमों में एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।
22. प्रथम चरण ऑनलाइन कौंसिलिंग के सीटों के आबंटन व प्रवेश प्रक्रिया के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों के लिए द्वितीय चरण में आवेदन हेतु वैसी ही प्रक्रिया अपनाई जानी है जो प्रथम चरण में थी। उक्त रिक्त सीटों में पूर्व प्रवेशित छात्रों द्वारा द्वितीय चरण में आवेदन करने पर उनके प्रवेश निरस्त होने से रिक्त होने वाली सीटें भी शामिल है। द्वितीय चरण ऑनलाइन कौंसिलिंग में नये अभ्यर्थी सहित निम्न प्रकार के अभ्यर्थी हो सकते है :
1. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आबंटन के पश्चात् संस्था में प्रवेश ले चुके हैं - ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण में आबंटित सीट पर प्रवेश ले लिया है एवं प्रवेशित सीट से संतुष्ट है, उन्हें द्वितीय चरण में भाग नहीं लेना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी यदि अपनी पूर्व आबंटित सीट बदलना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति है, उन्हें द्वितीय चरण में पुनः नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दूसरे चरण में सम्मिलित होने पर उनका प्रथम चरण का प्रवेश स्वमेव निरस्त हो जायेगी एवं वह सीट रिक्त सीट में जुड़ जायेगी।
 2. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आबंटन प्राप्त किये थे परन्तु संस्था में प्रवेश नहीं लिये - ऐसे अभ्यर्थी की प्रथम चरण की आबंटित सीट निरस्त मानी जायेगी एवं इन्हें पुनः द्वितीय चरण में नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
 3. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आवेदन किये थे परन्तु आबंटन नहीं हुआ था - ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः द्वितीय चरण में नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
 4. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आवेदन नहीं किए थे - ऐसे अभ्यर्थी नया आवेदन कर सकते है। उक्त समस्त प्रकार के अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाइन कौंसिलिंग शुल्क देय होगा।
23. प्रथम एवं द्वितीय चरण में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर रिक्त सीटों पर आबंटन सूची निर्धारित तिथि को जारी की जायेगी। जिसे वेबसाइट में अवलोकन किया जा सकता है। आबंटित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्था में निर्धारित अवधि में प्रवेश लेना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं लेने पर आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
24. द्वितीय चरण में जो अभ्यर्थी प्रथम चरण में किसी अन्य संस्था में प्रवेश ले चुके थे, उन्हें तात्कालिक रूप से स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के बिना भी प्रवेश लेने की अनुमति है, परंतु ऐसे अभ्यर्थियों को बाद में स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।



25. द्वितीय चरण की कॉउंसिलिंग पूर्ण होने के उपरांत रिक्त रह गई सीटों पर प्रवेश हेतु संस्था स्तर की कॉउंसिलिंग निम्नानुसार आयोजित की जायेगी।
1. विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वितीय चरण की कॉउंसिलिंग के उपरांत प्रवर्ग एवं वर्गवार रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाइट www.cgcte.cgstate.gov.in पर प्रकाशित की जायेगी।
 2. संचालनालय द्वारा निर्धारित तिथियों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी संस्था स्तर की कॉउंसिलिंग के लिए संचालनालय की ऑनलाइन कॉउंसिलिंग के लिए निर्धारित वेबसाइट पर निर्धारित फीस का भुगतान कर ऑनलाइन पंजीकरण (Registration) कर आवेदन कर सकते हैं।
 3. अभ्यर्थी को किसी एक संस्था हेतु ही अपने विकल्प भरने की छूट होगी। अभ्यर्थी जिस संस्था का विकल्प भर रहे हैं, उस संस्था में उपलब्ध अधिक से अधिक ब्रांच का विकल्प भर सकते हैं। अभ्यर्थी जिन ब्रांच के लिए विकल्प भरेंगे, उन्हीं ब्रांचों हेतु आवंटन किए जाने के लिए विचार किया जा सकेगा।
 4. संस्था स्तर की कॉउंसिलिंग हेतु आवेदन करने पर यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी संस्था में प्रवेश लिया हुआ है, तो वह प्रवेश तब तक निरस्त नहीं होगा जब तक की अभ्यर्थी संस्था स्तर की कॉउंसिलिंग में प्रवेश नहीं लेगा।
 5. संस्था स्तर की कॉउंसिलिंग हेतु आवेदन करने की अंतिम निर्धारित तिथि की समाप्ति के उपरांत संचालनालय द्वारा संबंधित संस्थाओं को ब्रांचवार प्रावीण्य सूची उपलब्ध करवाई जायेगी।
 6. संचालनालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई मेरिट सूची के अनुसार संस्थाओं द्वारा संस्था स्तर पर आवंटन कर प्रवेश देने की कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित अंतिम तिथि तक ही प्रवेश देने की प्रक्रिया की जा सकेगी।
 7. अभ्यर्थी का संस्था स्तर की कॉउंसिलिंग में किसी संस्था में प्रवेश लेने पर उसके द्वारा लिया गया पूर्व संस्था का प्रवेश स्वमेव ही निरस्त हो जावेगा।
26. अभ्यर्थी को आवंटन की सूचना SMS के द्वारा दी जाती है, किन्तु संचार नेटवर्क में समस्या के कारण आवश्यक नहीं कि SMS पहुँचे। अतः अभ्यर्थी Applicant login में जाकर अपने एप्लीकेशन आईडी एवं पासवर्ड डालकर अपना अस्थायी आवंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) देख सकते हैं एवं उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
27. संस्था द्वारा प्रवेश ऑनलाइन कन्फर्म किये जाने पर ही अभ्यर्थी का प्रवेश मान्य होता है। संस्था को अभ्यर्थी का प्रवेश निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व ऑनलाइन कन्फर्म करवाना अनिवार्य है, संस्था द्वारा प्रवेश कन्फर्म करने पर विद्यार्थियों का पासवर्ड एवं SMS द्वारा मोबाईल पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करने पर ही प्रवेश कन्फर्म किया जाता है। अभ्यर्थी प्रवेश ऑनलाइन कन्फर्म किये जाने की एक प्रति अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से संस्था से प्राप्त करें।



28. अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश के समय अन्य अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है -

1. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आय प्रमाण पत्र
2. पूर्व संस्था से स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र
3. गेप प्रमाण पत्र (यदि अध्ययन में व्यवधान हुआ है तो)
4. माइग्रेशन प्रमाण पत्र (अन्य राज्य के बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये)
5. बी.पी.एल. परिवार में आने वाले अभ्यर्थी के लिए सक्षम अधिकारी से जारी पालक का बी.पी.एल.कार्ड।
6. आधार कार्ड

यदि आवेदक के पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो संस्था में प्रवेश के समय संस्था द्वारा आवेदक को अनारक्षित माना जायेगा। इसी प्रकार यदि आवेदक के पास सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/निःशक्तता से बाधित का प्रमाण पत्र नहीं है तो संबंधित वर्ग को NIL माना जायेगा एवं तदनुसार संस्था द्वारा अभ्यर्थी के प्रवेश पर निर्णय लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये निर्देशों के अंतर्गत यथापरिभाषित होगा एवं नीचे अन्यथा वर्णित को छोड़ सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार अथवा वरिष्ठतर अन्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा समय-समय पर राज्य शासन के निर्देशों के तहत जारी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र (प्रारूप-5) के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है। इस प्रमाण पत्र में प्रकरण क्रमांक, जारी करने की तिथि व न्यायालय/कार्यालय की सील, जारीकर्ता अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्धशासकीय निकायों तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों के राज्य में या राज्य के बाहर पदस्थ होने पर तथा प्रारूप-6 में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी। भारत सरकार के कार्मिकों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों एवं केन्द्रीय अर्धशासकीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों के छत्तीसगढ़ राज्य में इन नियमों के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के पूर्व पदस्थ होने पर तथा प्रारूप-7 में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को भी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी। भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित पिता/माता के सन्तान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माने जायेंगे। ऐसे पुनर्व्यवस्थापित पिता/माता की सन्तानों को प्रारूप-8 में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

29. अभ्यर्थी को संस्था में प्रवेश के समय निम्नलिखित मूल दस्तोवज एवं उसकी एक सेट फोटोकापी की आवश्यकता होती है।

1. कम्प्यूटर से प्रिंट किया गया प्रोविजनल एलॉटमेंट लेटर की प्रति।
2. 10वीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र।



3. अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची।
 4. सामान्य प्रवेश परीक्षा का स्कोर कार्ड यदि लागू हो तो।
 5. पूर्व संस्था से स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र।
 6. गेप प्रमाण-पत्र (यदि अर्हकारी परीक्षा के बाद व्यवधान हुआ है तो)।
 7. माइग्रेशन प्रमाण-पत्र यदि लागू हो तो।
 8. छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र। अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए संबंधित राज्य के मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 9. स्थायी जाति प्रमाण-पत्र (अस्थायी स्वीकार्य नहीं) यदि लागू हो तो।
 10. निःशक्तता प्रमाण पत्र/सैनिक प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र (जो लागू हो)।
 11. आधार कार्ड यदि बना हो तो (अनिवार्य नहीं)।
 12. बैंक पासबुक की कापी यदि एकोउंट खुला हो तो।
 13. आय प्रमाण-पत्र (केवल आरक्षित वर्ग के लिए)।
 14. स्वमं का पासपोर्ट साईज फोटो (03 प्रति)।
30. काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये प्रत्येक निजी इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, एम.सी.ए. एवं एम. बी.ए. संस्थाओं को रु. 1000/- एवं प्रत्येक निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं को रु. 500/- प्रति स्वीकृत सीट की दर से कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता अनुसार कौशन मनी काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य है। किसी संस्था को कौशन मनी न जमा करने पर अथवा अन्य समुचित कारण/कारणों से केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर रखना, यह काउंसिलिंग समिति का विशेषाधिकार रहेगा। यह काशन मनी संस्थाओं द्वारा ट्यूशन फी वेव्हर योजना के परिपालन एवं छात्रों की फीस संबंधी शिकायत के निराकरण के पश्चात वापसी योग्य है। फीस वापसी संबंधी शिकायतों का निराकरण यदि संस्था द्वारा नहीं किया जाता है, तो जमा काशन मनी से छात्रों को फीस वापस करने की कार्यवाही संचालनालय के द्वारा की जा सकती है।
31. शिक्षण, विकास, विविध अन्य शुल्क तथा अवधान राशि :
1. शासकीय संस्थाओं के लिए :- जैसा शासन द्वारा निर्धारित की जाये।
 2. स्वशासी स्ववित्तीय तथा निजी संस्थाओं के लिए :- “छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008” के अंतर्गत गठित की गई “प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति” द्वारा प्रस्तावित/अनुशंसित एवं शासन/विश्वविद्यालय द्वारा इस बावत् अधिसूचित शुल्क लागू होगी।



3. लागू शुल्क संरचना/आदेश की जानकारी वेबसाईट www.cgdterapur.cgstate.gov.in एवं काउंसिलिंग की संबंधित वेबसाईट में उपलब्ध रहेगी।
4. लागू शुल्क को किसी राष्ट्रीय/अधिसूचित बैंक में संस्था के नाम से संचालित खाते में चालान, चेक, डिमांड ड्राफ्ट अथवा अन्य किसी बैंकिंग उपकरण के माध्यम से जमा किया जाना चाहिये। शुल्क को नगद जमा नहीं किया जाना है।
32. मैनेजमेंट एवं प्रायोजित कोटा पर प्रवेश संस्था स्तर पर नियमानुसार दिया जायेगा।
33. जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों के प्रवेश -
1. जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित व्यक्ति के पुत्र/पुत्रियों के लिये शासकीय संस्थाओं, शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं, स्वशासी-स्ववित्तीय एवं निजी क्षेत्र के संस्थाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त आरक्षित है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से निर्धारित प्रारूप-9 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों के पुत्र/पुत्रियों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य नहीं है।
 2. इसी वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप-10 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
 3. किसी संस्था/ब्रांच के लिये एक ही तिथि को एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रथमतः छत्तीसगढ़ में विस्थापित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। तत्पश्चात् अन्य राज्य में विस्थापित को सीट रिक्त रहने पर प्रवेश दिया जा सकेगा, परंतु अलग-अलग तिथि होने पर जो "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर सीट आबंटित किया जायेगा।
 4. जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिये आरक्षित सीटों पर प्रवेश हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तकों के आधार पर प्रवेश होंगे।
 5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के पत्र क्र- No. F.5-84/2012/AICTE/J&K/(Seats)/1016 दिनांक 8 नवंबर, 2012 के दिशा निर्देशानुसार जम्मू कश्मीर के निवासी छात्रों के प्रवेश के लिए प्रत्येक स्नातक इंजीनियरिंग संस्था में दो-दो सांख्येत्तर सीट उपलब्ध रहेगी। इस हेतु भी प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी एवं प्रवेश 12 वीं की मेरिट के आधार पर होगा।



34. छात्र द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी के नियम -

1. काउंसिलिंग के दौरान प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व अपना प्रवेश निरस्त करवाने हेतु यदि अभ्यर्थी द्वारा काउंसिलिंग कार्यक्रम में घोषित प्रवेश की अंतिम तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व प्रवेश निरस्त करवाने हेतु आवेदन करने पर बी.ई., बी./डी.फार्मैसी, बी. आर्क, एम.सी.ए., एम.टेक., एम. फार्मैसी एवं एम. बी.ए. पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थी से रू. 1000/- की तथा डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन कास्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इन इन्टीरियर डिजाईन एवं डेकोरेशन, डिप्लोमा इन मार्डन आफिस मैनेजमेंट एवं डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थी से रू. 500/- की कटौती करने के पश्चात् शेष राशि संबंधित संस्था द्वारा वापस की जायेगी ।
2. काउंसिलिंग कार्यक्रम में घोषित प्रवेश की अंतिम तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व प्रवेश निरस्त करने हेतु आवेदन नहीं करने पर अभ्यर्थी की फीस वापसी हेतु योग्य नहीं होगा।

टीप :- छात्र द्वारा प्रवेश निरस्त करने पर फीस वापसी के उपरोक्त बिंदु राज्य शासन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिव्यू पिटिशन क्रमांक REVP/70/2017 के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

3. प्रवेश निरस्त कराने/होने पर फीस वापसी के मामले में शिकायत प्राप्त होने पर प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के निर्णय/निर्देशों के अनुसार कार्यवाही होगी ।
35. ट्यूशन फी वेव्हर योजना :- यह योजना एआईसीटीई/पीसीआई/सीओए के दिशा निर्देशानुसार लागू की जायेगी। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को मेरिट के आधार पर शिक्षण शुल्क में छूट देकर प्रोत्साहन किया जाना है। यह योजना स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में लागू होगी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.सी.ए. में भी यह योजना लागू होगी। योजना की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

1. यह योजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मैसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिये लागू होगी।
2. काउंसिलिंग के समय संस्थाओं के अनुमोदित सीटों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत सांख्येत्तर सीटों को भी सम्मिलित किया जाएगा। तथापि अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ संबंधित संस्था में उसी स्थिति में प्राप्त हो सकेगा जब संबंधित ब्रांच में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त प्रवेश हुआ हो। यह सांख्येत्तर सीटों केवल उसी स्थिति में उपलब्ध होगी, यदि विगत अकादमिक वर्ष में संबंधित कोर्स में स्वीकृत सीटों पर कम से कम 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश हुआ हो। अतिरिक्त प्रवेशित संख्या के बराबर TFW नियमानुसार सामान्य प्रवेश परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा जिसके आधार पर प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण किया गया हो के अनुसार देय होगी।



3. यदि किसी संस्था की किसी ब्रांच में स्वीकृत प्रवेश क्षमता 60 है, और कुल प्रवेश 63 छात्रों का होता है तो 3 अभ्यर्थियों को TFW दिया जायेगा। किंतु यदि किसी ब्रांच में 60 प्रवेश क्षमता है और उसमें 62 अभ्यर्थियों का प्रवेश होता है तो केवल 2 अभ्यर्थी ही फी वेव्हर स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। प्रवेश क्षमता से कम प्रवेश होने पर TFW देने की बाध्यता नहीं होगी। तथापि कोई संस्था स्वेच्छा से TFW देने के लिये स्वतंत्र होगी। ओपन, महिला, निःशक्तता से बाधित आदि कोई श्रेणी निर्धारित नहीं है। मेरिट में जो अभ्यर्थी आए उसे TFW देय होगी। शासकीय संस्थाओं में जहाँ विगत अकादमिक वर्ष में संबंधित कोर्स में स्वीकृत सीटों पर कम से कम 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश हुआ हो, उन संस्थाओं में अतिरिक्त प्रवेश न होने पर भी 5 प्रतिशत सीटों पर TFW देय होगा।
4. TFW सीटें संस्था की अनारक्षित की सीटों में जोड़ी जायेंगी।
5. जिन संस्थाओं में इसी अकादमिक सत्र से प्रवेश प्रारंभ हुआ है, उन्हें TFW सीट प्राप्त नहीं होंगी।
6. इस हेतु छात्र/छात्रा के पालक/अभिभावक की विगत वित्तीय वर्ष की समस्त स्रोतों से आय रु. 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये। आय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा करना अनिवार्य है। आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप-11 में सक्षम अधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित प्रारूप से किसी अन्य प्रारूप में सक्षम अधिकारी से जारी किया गया ऐसा आय प्रमाण-पत्र जिसमें वित्तीय वर्ष एवं समस्त स्रोतों का उल्लेख हो मान्य किया जायेगा। TFW स्वीकृत करने की पूरी प्रक्रिया संस्थाओं द्वारा ही किया जाना है। प्रस्ताव संचालनालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है। जिन छात्रों को TFW स्वीकृति प्राप्त होगी उनके द्वारा प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय जमा की गयी शिक्षण शुल्क की राशि संस्था द्वारा छात्रों को वापस की जायेगी एवं द्वितीय सेमेस्टर से फीस नहीं ली जाएगी। प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् परिपालन (compliance) हेतु छात्रों को वापस किये गये रिफण्ड चेक की छाया प्रति एवं छात्रों की सूची संचालनालय को भेजी जानी है।
7. TFW प्राप्त छात्र को ब्रांच एवं संस्था परिवर्तन की अनुमति रहेगी। तथापि संस्था/ब्रांच परिवर्तन पर या सीट छोड़ने पर फी वेव्हर की पात्रता समाप्त हो जायेगी। रिक्त TFW सीट पर पात्रतानुसार प्रतीक्षा सूची की मेरिट से फी वेव्हर स्वीकृत किया जा सकता है।
8. एक बार स्वीकृत की गयी फी वेव्हर पूरे पाठ्यक्रम अवधि के लिये लागू होगी।
9. TFW जिन अभ्यर्थियों को स्वीकृत की जायेगी वे यदि योग्यता रखते हैं, तो उनकी छात्रवृत्ति की पात्रता भी बनी रहेगी।




10. TFW के अंतर्गत केवल शिक्षण शुल्क माफ होगी, किंतु संस्था में ली जाने वाली अन्य फीस देय होगी।
11. प्रत्येक संस्था TFW प्राप्त कर रहे समस्त छात्रों की सूची प्रतिवर्ष वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगी।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
36. संचालनालय की वेबसाइट पर समस्त संस्थाओं की सूची, संस्थाओं की फीस की जानकारी, प्रवेश नियम, काउंसिलिंग प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध की जायेगी।
37. अभिभावकों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट) की राय में आवेदक के पिता और माता दोनों की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हों तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जाएगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।
38. दत्तक संतानों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में दत्तक संतान के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक संतान होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व निष्पादित वैध दत्तकनामा (अॅडॉप्शन डीड) होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जाएगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा गत पांच वर्षों में आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण-पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये उपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता/माता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहें हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किन्हीं अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे।



39. यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने के कारण नियत तिथि पर प्रवेश हेतु संस्था में उपस्थित रहने में असमर्थ है और वह इस आशय का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/संबंधित चिकित्सालय के प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करता है, तो उसके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर प्रवेश प्रक्रिया हेतु उसके पिता/अभिभावक उपस्थित हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी के प्रवेश लेने के उपरांत यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिए विभाग सक्षम होगा।
40. प्रवेश नियम 2023 के अनुसार गठित कॉउंसिलिंग समिति इस प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने हेतु अधिकृत है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


25.7.2023

(रेखा साहू)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा

एवं रोजगार विभाग

संबंधित/समुचित एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता के लिए संबंधित/समुचित विभिन्न स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम एवं जी.ए.टी.ई. (GATE) के विषय

क्र.	एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम का नाम जिसमें प्रवेश दिया जाना है	पात्रता हेतु संबंधित डिग्री पाठ्यक्रम के ब्रांच/ विषय का नाम इंजीनियरिंग एवं साइंस	संबंधित/समुचित जी.ए.टी.ई. परीक्षा के विषय
1	सी.ए.डी.- सी.ए.एम. (रोबोटिक्स)	मेकेनिकल इंजीनियरिंग/प्रोडक्सन इंजीनियरिंग/मेकैट्रानिक्स इंजीनियरिंग /आटोमोबाईल इंजीनियरिंग/मेनुफेक्चरिंग इंजीनियरिंग/इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग/मेटलर्जी इंजीनियरिंग/मटेरीयल साइंस/एरोनोटिकल इंजीनियरिंग	एम.ई./ पी.आई.
2	कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग	कम्प्यूटर साइंस/इंफारमेशन टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग/टेली कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग/ इंस्ट्रुमेंटेशन एण्ड कंट्रोल/ इलेक्ट्रानिक्स/ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन/कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड साफ्ट वेयर इंजीनियरिंग/एम.सी.ए./ एम.एस.सी.(आई.टी.)/एम.एस.सी.(सी.एस.)/ एम.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स) /ए.ई.एण्ड आई.	सी.एस./ ई.सी./ आई.एन./ ई.ई.
3	इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग (डिजिटल इलेक्ट्रानिक्स)	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन/इंस्ट्रुमेंटेशन एण्ड कंट्रोल/ए.ई.एण्ड आई/एम.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स)	ई.सी./ आई.एन.
4	इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग (इंस्ट्रुमेंटेशन एण्ड कंट्रोल)	एप्लाइड इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /इंस्ट्रुमेंटेशन/इलेक्ट्रानिक्स/इंस्ट्रुमेंटेशन एण्ड कंट्रोल	ई.सी./ आई.एन.
5	इनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग	कोई भी ब्रांच	कोई भी विषय
6	सिविल इंजीनियरिंग (स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग)	सिविल इंजीनियरिंग	सी.ई.
7	कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी/कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लीकेशन	कम्प्यूटर साइंस/इंफारमेशन टेक्नोलॉजी/एम.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी.)/ एम.एस.सी. (सी.एस.)/कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	सी.एस.
8	इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग (कम्प्युनिकेशन)	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रानिक्स/एम.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स)/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन	ई.सी./ आई.एन.
9	कम्प्यूटर एडेड डिजाइन	मेकेनिकल इंजीनियरिंग /प्रोडक्सन इंजीनियरिंग /रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कन्डीसनिंग/ आटो मोबाईल इंजीनियरिंग / मेनुफेक्चरिंग/ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग /टूल एण्ड डाई मेकिंग/ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी/फेब्रीकेशन टेक्नोलॉजी एण्ड इरिक्शन इंजीनियरिंग /मेकैट्रानिक्स/टेक्सटाईल इंजीनियरिंग /प्रीटींग टेक्नोलॉजी /पेपर टेक्नोलॉजी /शुगर टेक्नोलॉजी /प्लास्टिक टेक्नोलॉजी	एम.ई./ पी.आई./ टी.एफ.
10	धर्मल इंजीनियरिंग	मेकेनिकल इंजीनियरिंग /प्रोडक्सन इंजीनियरिंग	एम.ई./ पी.आई.
11	पावर इलेक्ट्रानिक्स	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रानिक्स/ए.ई. एण्ड आई./इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग /एम.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स)	ई.ई./ई.सी./आई.एन.
12	वी.एल.एस.आई. एण्ड एमबेडेड सिस्टम डिजाइन/ वी.एल.एस.आई. डिजाइन	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन/ कम्प्यूटर साइंस/इंफारमेशन टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	ई.सी./ सी.एस./ आई.एन.

27	इनर्जी मेनेजमेंट	मेकेनिकल इंजीनियरिंग / आटोमोबाईल इंजीनियरिंग / प्रोडक्शन इंजीनियरिंग / इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग / मेकाट्रानिक्स/एरानोटीकल इंजीनियरिंग	एम.ई.
28	पावर सिस्टम एण्ड कंट्रोल	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रानिक्स एण्ड पावर सिस्टम/पावर इंजीनियरिंग / पावर इलेक्ट्रानिक्स अथवा एप्रोप्रिएट डिस्सीप्लिन रिलेटेड टु इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	ई.ई.
29	इंडस्ट्रीयल सेफ्टी	मेकेनिकल इंजीनियरिंग / सिविल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग / केमिकल इंजीनियरिंग/ मेटलर्जी इंजीनियरिंग / माइनिंग इंजीनियरिंग / आटोमोबाईल इंजीनियरिंग / प्रोडक्शन इंजीनियरिंग / इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग / पावर इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेन्टेशन/एरानोटीकल इंजीनियरिंग / इन्सट्रुमेन्टेशन एण्ड कंट्रोल/ ए.ई.आई. इंजीनियरिंग / पावर सिस्टम इंजीनियरिंग / पावर इलेक्ट्रानिक्स/मेकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग	सी.ई./एम.ई. /ई.ई./ई.सी. /एम.टी./पी. आई./सी.एच. /एम.एन.
30	पावर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड पावर सिस्टम	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग / पावर इंजीनियरिंग	ई.ई.
31	ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग	सिविल इंजीनियरिंग	सी.ई.
32	टर्बो मशीनरी	मेकेनिकल इंजीनियरिंग / एरोसेस्पेस इंजीनियरिंग / एरोनोटीकल इंजीनियरिंग/ मेनुफेक्चरिंग इंजीनियरिंग / इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग/ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/ मेकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग / मेरीन इंजीनियरिंग	एम.ई./ पी.आई./ए.ई.
33	इलेक्ट्रिकल पावर एण्ड एनर्जी सिस्टम	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग (पावर)/ इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग (पावर एण्ड आटोमेशन)/पावर इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	ई.ई./ई.सी.
34	डाटा साईस	कम्प्यूटर साईस एण्ड इंजीनियरिंग/ इनफॉर्मेशन टेक्नालॉजी/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग/ एम.सी.ए. या एम.एस.सी./एम.एस. (सी.एस./आई.टी./मेथ्स/ स्टेटिस्टिक्स) बी.ई./बी.टेक. की अन्य ब्रांच या समकक्ष	सी.एस./ ई.ई. /ई.सी./एम.ए. ई.ई./ ई.सी. /सी.एस.
35	डिजिटल कम्प्युनिकेशन	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग/ इनफॉर्मेशन एण्ड कम्प्युनिकेशन टेक्नालॉजी/इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्सट्रुमेन्टेशन/ इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /एप्लाइड इलेक्ट्रानिक्स एम.एस.सी. (फिजिक्स/इलेक्ट्रानिक्स)	ई.सी./आई. एन.
36	नेनो टेक्नालॉजी	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग / मेकेनिकल इंजीनियरिंग /मेटलर्जी /बायोमेडिकल इंजीनियरिंग/ एप्लाइड इलेक्ट्रानिक्स/ इंजीनियरिंग फिजिक्स/ एम.एस.सी. (मेथ्स/बायोकेमेस्ट्री/माईक्रो बायोलॉजी)	ई.सी.ई./ ई.ई. /आई.एन. /एम.ए./एम.ई. /एम.टी./पी. एच./एक्स.ई. -सी./एक्स.ई. -एफ./एक्स. एल.-क्यू/एक्स. एल-एस.
37	हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग या समकक्ष	ई.ई.

- टीप :- (1) समुचित तकनीकी विषयों को समान मानते हुये एकजाई मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा।
(2) किसी तकनीकी विषयों के समतुल्य होने के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होने पर काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।
(3) यह नियमित कोर्स है एवं नौकरी पेशा अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए अपने नियोक्ता से इस संबंध में अनापत्ति/प्रायोजन प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इनके लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है।
(4) ईलेक्ट्रानिक्स, ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन, ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनीकेशन को समतुल्य माना जाएगा। एप्लाइड इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेन्टेशन, ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेन्टेशन को समतुल्य माना जाएगा। इसी प्रकार फीजिक्स एवं एप्लाइड फीजिक्स तथा केमेस्ट्री एवं एप्लाइड केमेस्ट्री को समतुल्य माना जाएगा।
(5) एम.ई./एम.टेक. के किसी विषय में प्रवेश के लिए जी.ए.टी.ई. (गेट) के विभिन्न विषयों को समान मानते हुए प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर मेरिट निर्धारित किया जाएगा।



बैचलर आफ इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी के प्रथम वर्ष एवं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) के प्रमुख विषय क्षेत्रों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा में अनिवार्य तीन विषयों की सूची

क्रमांक	अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी के प्रमुख विषय क्षेत्र का नाम जिसमें प्रवेश लिया जाना है	(10+2) स्तर पर अनिवार्य विषय का नाम
1	एरोनाटिकल इंजीनियरिंग, सिरेमिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, डेयरी इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, फायर एण्ड सेफ्टी इंजीनियरिंग, मेरिन इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग मिलिटरी इंजीनियरिंग, मार्निंग इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नालॉजी, न्यूकलियर साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल इंजीनियरिंग	भौतिकी, रसायन एवं गणित
2	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	भौतिकी, गणित एवं रसायन/कम्प्यूटर साइंस/इलेक्ट्रानिक्स/इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी/बायोलॉजी/इंफॉर्मेटिक्स प्रेक्टिस/जैवप्रौद्योगिकी/तकनीकी व्यावसायिक विषय/एग्रीकल्चर/इंजीनियरिंग ग्राफिक्स/बिजनेस स्टडीज/एंटरप्रेन्योरशिप में से कोई 01 विषय
3	बायो टेक्नालॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग	भौतिकी, रसायन एवं बायोलॉजी/जैवप्रौद्योगिकी/गणित में से कोई 01 विषय
4	एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग	भौतिकी, रसायन एवं बायोलॉजी/जैवप्रौद्योगिकी/गणित/एग्रीकल्चर में से कोई 01 विषय
5	फूड इंजीनियरिंग, लेदर टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल केमेस्ट्री	रसायन एवं भौतिकी/गणित/कम्प्यूटर साइंस/इलेक्ट्रानिक्स/इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी/बायोलॉजी/इंफॉर्मेटिक्स प्रेक्टिस/जैवप्रौद्योगिकी/तकनीकी व्यावसायिक विषय/एग्रीकल्चर/इंजीनियरिंग ग्राफिक्स/बिजनेस स्टडीज/एंटरप्रेन्योरशिप में से कोई 02 विषय
6	प्रिंटिंग इंजीनियरिंग	भौतिकी, रसायन एवं गणित/कम्प्यूटर साइंस/इलेक्ट्रानिक्स/इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी/बायोलॉजी/इंफॉर्मेटिक्स प्रेक्टिस/जैवप्रौद्योगिकी/तकनीकी व्यावसायिक विषय/एग्रीकल्चर/इंजीनियरिंग ग्राफिक्स/बिजनेस स्टडीज/एंटरप्रेन्योरशिप में से कोई 01 विषय
7	पैकेजिंग टेक्नालॉजी, फैशन टेक्नालॉजी	भौतिकी/रसायन/गणित/कम्प्यूटर साइंस/इलेक्ट्रानिक्स/इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी/बायोलॉजी/इंफॉर्मेटिक्स प्रेक्टिस/जैवप्रौद्योगिकी/तकनीकी व्यावसायिक विषय/एग्रीकल्चर/इंजीनियरिंग ग्राफिक्स/बिजनेस स्टडीज/एंटरप्रेन्योरशिप में से कोई 03 विषय

टीप :-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28 अप्रैल 2017 में दर्शित अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी के प्रमुख विषय क्षेत्र के अंतर्गत अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी के तदनुसूची पाठ्यक्रम मान्य होंगे।

डिप्लोमा वोकेशनल के आधार पर बैचलर आफ इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु डिप्लोमा वोकेशनल की विशेषज्ञता से संबंधित प्रासंगिक विषय क्षेत्रों की सूची

क्रमांक	विशेषज्ञता	प्रासंगिक विषय क्षेत्र
1	आटोमोटिव मैनुफेक्चरिंग टेक्नालॉजी	मेकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मेकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग
2	आटोमोबाइल सर्विसिंग	मेकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मेकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग
3	प्रोडक्शन टेक्नालॉजी	मेकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मेकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग
4	इंडस्ट्रीयल टूल मैनुफेक्चरिंग	मेकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मेकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग
5	रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेट्रानिक्स इंजीनियरिंग, इलेट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मेकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग
6	साफ्टवेयर डेवलपमेंट	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग, इंफार्मेशन टेक्नालॉजी
7	ग्राफिक्स एण्ड मल्टीमीडिया	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग, इंफार्मेशन टेक्नालॉजी
9	फुड प्रोसेसिंग	एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग
10	इलेक्ट्रानिक मैनुफेक्चरिंग सर्विसेस	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेट्रानिक्स इंजीनियरिंग, इलेट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, मेकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

2

1. प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग जिला छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक

प्रमाण पत्र क्रमांक प्रकरण क्रमांक

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री पिता/पति का नाम
..... निवासी ग्राम/नगर पटवारी हल्का नं. वि.खं.
..... तहसील जिला संभाग

जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक..... पर अंकित है अतः श्री/सुश्री पिता/पति का नाम अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक-

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम एवं सील

टिप्पणी

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी उप संभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद्/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, जैसा कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जाय।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जाये, न कि अभ्यर्थी के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।



प्रारूप-2

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग जिला छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक प्रमाण पत्र क्रमांक

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री आत्मज
श्री निवासी ग्राम जिला संभाग
..... छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो जाति के हैं, जिसे
पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा-वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ
8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला संभाग
..... में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक को
प्रवजन कर चुका है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री क्रीमी लेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की
प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक 360/2122/93/स्था.
(एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची में कालम-3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन
क्रमांक एफ 7-26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3) में किया गया
है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री के परिवार की कुल
वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक



हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप-3 (अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

भूतपूर्व मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायी रूप से निःशक्तता से बाधित
प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (माता/पिता का नाम)जो
कि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/कुमारी (छात्र/छात्रा का नाम) के
पिता/माता है,

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे.....पद
पर थे/थी और उनका सर्विस क्रमांक..... था।

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौ सेना में पद पर सर्विस क्रमांक के
अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो
चुकी है।

स्थान

दिनांक

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय सील सैनिक कल्याण अधिकारी

प्रारूप-3 (ब)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मचारी द्वारा स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री(अभ्यर्थी के
माता/पिता नाम) जो कि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री
(अभ्यर्थी का नाम) के माता/पिता हैं, भूतपूर्व प्रतिरक्षा कार्मिक है और स्थायी रूप से
(स्थान) तहसील.....जिला.....छत्तीसगढ़
राज्य में व्यवस्थापित है ।

स्थान

दिनांक

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कार्यालय सील सैनिक कल्याण अधिकारी

प्रारूप-3 (स)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम)जो कि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री..... (अभ्यर्थी का नाम) के पिता/माता (जो लागू न हो उसे काट दें) हैं वह थल सेना/वायु सेना/नौसेना में ओहदे पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मिक हैं और वह प्रतिरक्षा..... इकाई में पदस्थ हैं । वे इस इकाई में दिनांकसे सेवारत हैं ।

स्थानदिनांक

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय सील
कमांडिंग आफिसर



स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री
(अभ्यर्थी का नाम) श्री/सुश्री..... (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम)
के/की वैध संतान है। जो श्री/सुश्री.....(स्वतंत्रता
संग्राम सेनानी का नाम) के/की वैध संतान है। श्री/ सुश्री.....
(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला.....के
कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमांक.....पर
पंजीकृत है ।

स्थान

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

दिनांक

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा
प्राधिकृत डिप्टी कलेक्टर से
अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी

पदनाम एवं सील

प्रारूप-5

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

दिनांक.....

क्रमांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री

आत्मज/आत्मजा/पत्नीनिवासी.....

तहसील व जिला..... छत्तीसगढ़ का स्थानीय

निवासी है, क्योंकि वह -

1/ निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :-

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।

2. (क) वह,

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई -

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालकों में से कोई भी:-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं ।

परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है ।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है,

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों अर्थात:-

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा.

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा.

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा,

2/ उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे:-

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/ अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान ।

3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील



छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के कार्मिकों संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश का/की अभ्यर्थी है श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का की/संतान है,
क- जो छत्तीसगढ़ शासन केविभाग में.....पद पर.....तिथि से पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक हैं ।

अथवा

ख- जो छत्तीसगढ़ शासन केविभाग मेंपद पर पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक थे और.....तिथि से इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए ।

स्थान.....

दिनांक.....

कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष के

(नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)



प्रारूप-7

भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ
कार्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमोंक.....

दिनोंक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम)

जो पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है, श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी के
पिता/माता का नाम) का/की/संतान है, जो.....तिथि से छत्तीसगढ़ में स्थित इस कार्यालय.....
स्थान.....जिला.....में.....पद पर पदस्थ हैं
जो

भारत सरकार के.....विभाग

अथवा

भारत सरकार केसार्वजनिक उपक्रम

अथवा

भारत सरकार केअर्धशासकीय निकाय

का / की कार्मिक है ।

स्थान.....

दिनोंक.....

कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष
के नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा



प्रारूप-8

छत्तीसगढ़ में पुनर्वास स्थापन संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....जो..... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है। श्री/सुश्रीका/की/संतान है, जो.....योजना के तहत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना है।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

पदनाम एवं सील

प्रारूप-9

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)



प्रारूप-10

छत्तीसगढ़ के कार्मिक जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई हो की संतान हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमोंक.....

दिनोंक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थियों की स्थानों के विरुद्ध प्रवेश का अभ्यर्थी है, के पिता/माता श्री/सुश्री.....छत्तीसगढ़ के कार्मिक हैं जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु पदस्थ हैं जिनकी पदस्थापना दिनोंक.....से दिनोंक.....तक(स्थान का नाम) जिला.....में रही है ।

स्थान.....
दिनोंक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

शासन में विभागाध्यक्ष अधिकारी का नाम,
हस्ताक्षर, पद एवं
विभाग का नाम

dl

न्यायालय तहसीलदार, तहसील..... जिला (छत्तीसगढ़)

/ आय प्रमाण-पत्र /

राजस्व प्रकरण क्रं.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पिता श्री निवासी
.....तहसील जिला (छ.ग.) का
31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु शब्दों में
.....रूपये है ।

यह आय प्रमाण पत्र आवेदक के पुत्र/पुत्री/पत्नि..... के लिए जारी किया जाता है ।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी,
पदनाम एवं सील

नोट :

1. यह प्रमाण-पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा शिक्षण शुल्क में माफी मुख्यतः इस प्रमाण पत्र के आधार पर की जाती है ।
अतः प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी यथोचित सावधानी पूर्वक यह प्रमाण-पत्र जारी करें ।
2. सक्षम अधिकारी अन्य प्रारूप में जिसमें वित्तीय वर्ष एवं समस्त स्रोतों का उल्लेख हो में भी आय प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं ।